संख्या-107/2022/90/2022/71-2099/93/2022

प्रेषक,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2022

विषय:- कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान के विभिन्न विभागों में संकाय सदस्यों के विभिन्न पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या-डीआईआर/सी0आई0/39/120/2022, दिनांक 13 जून, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के विभिन्न विभागों में संकाय सदस्यों के विभिन्न पदों के सृजन का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान की कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत संस्थान के विभिन्न विभागों हेतु प्रोफेसर के 10 पद, एशोसियेट फ्रोफेसर के 19 पद एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के 33 पद अर्थात कुल 62 अस्थायी पदों के सृजन के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	प्रस्तावित पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	*Professor*	10
3	*Associate Professor*	19
4	*Assistant Professor*	33
		कुल- 62

3- उक्त पदों के भर्ती के श्रोत व अर्हता संस्थान के बॉयलॉज व सुसंगत सेवा नियमों में वर्णित भर्ती के स्रोत व अर्हता के अंतर्गत होंगे, साथ ही उक्त सृजित होने वाले पदों के वेतन व भत्ते वर्तमान में संस्थान में लागू वेतन व भत्तों के अनुरूप होंगे।

1) निदेशक, संस्थान द्वारा पदनाम के सम्बन्ध में पुष्टि कर ली जाएगी। जिससे भविष्य में कोई विसंगति उत्पन्न न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2) निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सृजित होने वाले पद सुसंगत मानकों यथाएम-0सी0आई0/एन0एम0सी0 तथा वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरूप है।

3) निदेशक, संस्थान सृजित किये जा रहे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले पूर्व से उपलब्ध रिक्त पद, यदि कोई हों, तो उन्हें भरने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

4) उक्त स्वीकृत पदों हेतु प्राथमिकता के अनुसार विभागों का आवंटन संस्थान स्तर से कर शासन को अवगत कराया जाएगा। आवंटन के उपरान्त विभागों में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

4- उक्त पदों पर होने वाला व्यय संस्थान के सुसंगत लेखाशीर्षक से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-3-200/दस-2022, दिनांक 26 अगस्त, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट)अनुभाग-1/2
8- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in